निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

करण संख्या – 99/2019 दिनांक 22.03.2021

उनवान

1. प्यारी बाई पत्नि कालूलाल गुर्जर वयस्क निवासी टिकीयों का खेडा तहसील भदेसर
2. रतनलाल पिता छगनलाल गुर्जर वयस्क निवासी टिकीयों का खेडा तहसील भदेसर
3. रतनीबाई पुत्री छगनलाल गुर्जर वयस्क निवासी टिकीयों का खेडा तहसील भदेसर
1. लखमीचन्द पिता नारायण गुर्जर वयस्क निवासी टिकीयों का खेडा तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

. शंकरलाल पिता गुलाब गुजर व्यस्क निवासी टिकीयों का खेडा तहसील भदेसर
. भेरा पिता गोकल गुजर व्यस्क निवासी टिकीयों का खेडा तहसील भदेसर
कालुलाल पिता हजारी गुजर व्यस्क निवासी टिकीयों का खेडा तहसील भदेसर
उदीबाई पत्नी नाथूलाल गुजर व्यस्क निवासी टिकीयों का खेडा तहसील भदेसर
श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वास्ते घौषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित –श्री उदयलाल गाडरी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वाके मौजा धरोल पटवार हल्का सुखवाडा तहसील भदेसर में खाता संख्या 91 की आराजी नमबर 313 रकबा 0.3700 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 320 खडडा रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर स्थित है ताईद में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

की गई है । इसी प्रकार खाता संख्या 134की आराजी नम्बर 315 रकबा 0.0900 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 317 रकबा 0.1500 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 318 रकबा 0.3500 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 319 रकबा 0.1500 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 372 रकबा 0.9200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.6600 हैक्टैयर स्थित है । इसी प्रकार खाता संख्या 12 की आराजी नम्बर 299 रकबा 0.5000 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 312 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.6600 हैक्टेयर स्थित है ।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीया वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित आराजीयात है जो मूल पुरूष गुलाब जी के समय की है जिनका सजरा इस प्रकार है :–

गुलाब(फौत) मूल पुरूष

नारायण(फौत) — शंकर(जीवित)

नारायण(फौत) : कालू(फोत), (छगन)फोत, लखमीचन्द(जीवित)

कालू(फोत) : प्यारीबाई(बेवा)

(छगन)फोत : रतन–पुत्र, रतनबाई–पुत्री

उक्त सजरा अनुसार गुलाब के दो पुत्र नारायण एवं शंकर हुए जिनका गुलाब के हिस्से में से 1/2 1/2 हिस्सा निहित हुआ नारायण फोत हो चुका है जिसके वारिसान कालू छगन लखमीचन्द हुए जिनका प्रत्येक का 1/3– 1/3 हिस्सा निहित हुआ कालू फोत होकर उसकी वारिस बेवा प्यारीबाई है एवं छगन फौत होकर उसके वारिस रतन –पुत्र ,रतनीबाई पुत्री है ।

यह कि खाता संख्या 91 की आराजी में मेरा पिता गोकल का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा कालूलाल पिता हजारी का 1/6 हिस्सा एवं शंकर पिता गुलाब का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है उक्त शंकर पिता गुलाब के 1/3 हिस्से में से 1/2 यानि 1/6 हिस्सा नारायण के वारिसान वादीगण का है एवं शेष 1/6 हिस्सा शंकर पिता गुलाब प्रतिवादी संख्या 1 है इसी

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

हक हिस्से अनुसार वादीगण अपने हक हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है तथा इसी प्रकार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराने के अधिकारी है ।

इसी प्रकार खाता संख्या 134 की आराजीयात में शंकर पिता गुलाब का नाम दर्ज है जिसमें से 1/2 हिस्सा नारायण के वारिसान वादीगण का निहित है एवं शेष 1/2 हिस्सा शंकर पिता गुलाब का है और इसी हक हिस्से अनुसार मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं इसलिये वादीगण उक्त आराजीयात मे से अपने 1/2 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रखाया जाना आवश्यक है ।

इसी प्रकार खाता संख्या 12 की आराजीयात में उदीबाई पत्नी नाथूलाल का 1/2 हिस्सा व शंकर पिता गुलाब का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है परन्तु शंकर पिता गुलाब के 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा नारायण के वारिसान वादीगण का शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के कब्जा होकर मौके पर बाहमी तौकार से पारिवारीक व्यवस्था अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है इसलिये वादीगण उक्त आराजीयात में से शंकर के 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्सा यानि 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 शंकर का घोषित फरमाया जाना आवष्यक है और इसी हक हिस्से अनुसार बंटवारा कराया जाकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज कराया जाना आवश्यक है ।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त अनुसार ही वादग्रस्त आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहें है परन्तु वर्तमान में जमीनों की कीमते बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में बदयांति आ गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात में वादीगण का हक हिस्सा मानने से इंकार कर रहा है जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि भूमि पुश्तैनी होकर वादीगण के दादा पडदादा गुलाब के समय की होकर इसमें वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अन्य लोगों के सिखावें में आकर वादीगण को को उनके जाईज हक से महरूम करने पर आमादा है एवं वादीगण को जबरन वेदखल करने पर आमादा हो रहा है इसलिये वादीगण को यह दावा घोषणा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश करना पड रहा है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

85/2018 शत्रुघ्न V/S सरकार

5. यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक हे कि वो वादीगण को उनके जाईज हक हिस्से की आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काष्त करने देवें उसमें किसी प्रकार की बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करें न किसी अन्य से उत्पन्न करावें तथा मौके कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करनें न करावें । यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वादीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी और वादीगण अपनी जाईज हक की आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें ।

6. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 10.06.2019 से निरन्तर पैदा है जबकि प्रतिवादीगण ने वादीगण का हक हिस्सा मानने से इंकार किया एवं वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया से पैदा होकर वाद अन्दर अवधि पेष है जो स्वीकार व डिक्री फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारित किये गये । प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया गया ।

प्रकरण में जवाबदावा पेश होने से तनकी कायम नहीं की गई । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या 91 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या 92 संवत् 2073--2076 प्रदर्श–2
3. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या 134 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–1
4. मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4
5. नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट मौजा धरोल की खाता संख्या 14 संवत् 2000 प्रदर्श–5
6. नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट मौजा धरोल की खाता संख्या 14 संवत् 2000 प्रदर्श–6
7. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या 1 संवत् 2013–2016 प्रदर्श–7
8. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या 1 संवत् 2013–2016 प्रदर्श–8

उपखण्ड अधिकारी
प्रदेश, जिला चित्तौड़गढ

चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

9. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या संवत् 2073–2076 प्रदर्श–9

10. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या 11 संवत् 2053–2056 प्रदर्श–10

11. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या 42 संवत् 2049–2052 प्रदर्श–11

12. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या 71 संवत् 2049–2052 प्रदर्श–12

13. नकल जमाबन्दी मौजा धरोल की खाता संख्या 73 संवत् 2049–2052 प्रदर्श–13

14. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 के तहत प्यारी बाई पत्नि कालू गुर्जर निवासी तिकीयों का खेडा

15. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 के तहत श्री कालूलाल पिता रामलाल जाट निवासी गोपीखेडा

बहस सुनी गयी लायक अधिवक्ता वादी द्वारा वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र एवं अभिवचनों से वाद के तथ्यों को बखूबी साबित कराया है। प्रश्नगत आराजीयात तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुकी है जबकि मूल पुरूष गुलाब के वारिस नारायण एवं शंकर प्रतिवादी संख्या है कुछ आराजीयात में तो नारायण का हिस्सा उसके वारिसान वादीगण का नाम लग चुका है किन्तु विवादित अराजीयात अकेले शंकर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुकी है जिसमे भी वादीगण के नाम नारायण का जो हिस्सा बनता है वह वादीगण के नाम आना चाहिए था जो कि नहीं लगाया गया है । प्रतिवादीगण द्वारा वाद का खण्डन भी नहीं किए जाने से वाद के तथ्यों की पुष्ठि होती है । अतः वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम धरोल , खाता संख्या 91 की आराजी नमबर 313 रकबा 0.3700 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 320 खडडा रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 शंकर का 1/3 हिस्सा है में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1/6 हिस्सा वादीगण का एवं 1/6 हिस्सा प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 का घोषित किया जाता है शेष खातेदारान् का हक हिस्सा यथावत रहेगा । इसी प्रकार खाता संख्या 134 की

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

आराजी नम्बर 315 रकबा 0.0900 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 317 रकबा 0.1500 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 318 रकबा 0.3500 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 319 रकबा 0.1500 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 372 रकबा 0.9200 हैक्टेयर कुल किता–5 कुल रकबा 1.6600 हैक्टैयर भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का घोषित किया जाता है । इसी प्रकार खाता संख्या 12 की आराजी नम्बर 299 रकबा 0.5000 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 312 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.6600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 शंकर का 1/2 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1/4 हिस्सा वादीगण का घोषित किया जाता है शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के रहेगा । दौराने कार्यवाही वादीगण द्वारा धारा 53 की दाद विड्रो कर लिये जाने से खारीज की जाती है । प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्तानुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने तक राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखें उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वंय करें न अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें । इसी आशय का पर्चा डिक्री मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner